राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, पीठ जोधपुर

अपील संख्या :– 414/2025

छोटी कुमारी जाट **–अपीलार्थी**

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, कृषि, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. आयुक्त, कृषि विभाग, कृषि आयुक्तालय, पंत कृषि भवन, जयपुर।
3. सहायक कृषि विस्तार, जोबनेर, जिला जयपुर।
4. गणपत लाल यादव, कृषि पर्यवेक्षक, मुख्यालय ढ़ाणी नागान, सहायक निदेशक, कृषि विस्तार, जोबनेर, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 10.02.2025
आदेश की दिनांक :

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री हितेश बिश्नोई, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त परमार, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– लेखराज तोसवाड़ा, सदस्य
असलम मेहर, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में वरिष्ठ कृषि पर्यवेक्षक के पद पर मुख्यालय ढ़ाणी नागान, सहायक निदेशक, कृषि विस्तार, जोबनेर, जयपुर में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानांतरण वर्तमान मुख्यालय, फूटाला सहायक निदेशक, कृषि विस्तार, श्रीमाधोपुर में निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 को समंजित करने के उद्देश्य से बिना किसी प्रशासनिक आवश्यकता के एवं बिना जिला दर्शाते हुए अपीलार्थी का स्थानान्तरण किया

गया है। माननीय उच्च न्यायालय में दायर डॉ अजय कुमार शर्मा बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान के विरूद्ध है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 17.01.2025 (अनुलग्नक–2) के द्वारा अपीलार्थी को कार्यमुक्त भी कर दिया गया है। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का आगे कथन है कि प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 22.01.2024 (अनुलग्नक–3) के द्वारा अपीलार्थी को वरिष्ठ कृषि पर्यवेक्षक के पद पर पदोन्नति दी गई। पदोन्नति उपरान्त अपीलार्थी ने वर्तमान पदस्थान स्थान वरिष्ठ कृषि पर्यवेक्षक के पद पर मुख्यालय, ढाणी नागान, सहायक निदेशक, कृषि विस्तार, जोबनेर में कार्यभार ग्रहण कर लिया। अपीलार्थी की तीन वर्ष की एक छोटी बेटी है। उसकी देखभाल करने वाला परिवार में अपीलार्थी के द्वारा अलावा अन्य कोई व्यक्ति नहीं है (अनुलग्नक–4)।

3. अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 15.01.2025 एवं कार्यमुक्ति आदेश दिनांक 17.01.2025 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे एवं प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित करे कि अपीलार्थी को वर्तमान वरिष्ठ कृषि पर्यवेक्षक के पद पर मुख्यालय ढ़ाणी नागान, सहायक निदेशक, कृषि विस्तार, जोबनेर, जयपुर में निरन्तर कार्य करने दिया जावे।

4. हमने उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

5. प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से यह स्पष्ट रूप से प्रकट होता है कि अपीलार्थी वर्तमान में वरिष्ठ कृषि पर्यवेक्षक के पद पर मुख्यालय ढ़ाणी नागान, सहायक निदेशक, कृषि विस्तार, जोबनेर, जयपुर में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानांतरण वर्तमान मुख्यालय, फूटाला सहायक निदेशक, कृषि विस्तार, श्रीमाधोपुर में प्रशासनिक आवश्यकता एवं राज्यहित में स्थानान्तरण किया गया है। जहां तक अपीलार्थी के स्थान पर निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 को समंजित करने का प्रश्न है **डॉ0 अजय कुमार शर्मा बनाम राजस्थान सरकार व अन्य 2003(1) डब्लू.एल.सी. (राज.) 438** का निर्णय उदृत किया गया है। हमने इस तर्क पर विचार किया है और हमारे मत में केवल इस कारण कि निजी प्रत्यर्थी संख्या–4 को उस की स्वयं की प्रार्थना पर अपीलार्थी के स्थान पर पदस्थापित किया गया है, यह आवश्यक निष्कर्ष नहीं

निकलता है कि बिना किसी उचित कारण के निजी प्रत्यर्थी संख्या–4 को अनुचित फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से उसको अपीलार्थी के स्थान पर पदस्थापित किया गया है। हमारे मत में डॉ0 अजय कुमार शर्मा के केस के तथ्य भिन्न हैं और इस निर्णय से अपीलार्थी को कोई मदद नहीं मिलती है। हमारे मत में प्रत्यर्थी विभाग के आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 एवं कार्यमुक्ति आदेश दिनांक 17.01.2025 में हस्तक्षेप करने का कोई विधिक आधार प्रतीत नहीं होता है।

6. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण अपील खारिज की जाती है।

(असलम मेहर)
सदस्य

(लेखराज तोसवड़ा)
सदस्य